

जनपद बाराबंकी

दिनांक 07.04.2021

थाना कुर्सी पुलिस द्वारा जिला बंदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु जनपद में अभियान चलाकर गिरफ्तारी/बरामदगी करने का निर्देश समस्त थाना प्रभारियों को दिया गया है, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी/दक्षिणी व समस्त क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में शांति अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

आज दिनांक 07.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक कुर्सी श्री धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में थाना कुर्सी पुलिस द्वारा अभियुक्त शानू पुत्र रफीक निवासी ग्राम अनवारी थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी को ग्राम अनवारी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी के वाद सं0 01824/2019 अन्तर्गत धारा 3/4 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत छः माह हेतु जिला बंदर का आदेश दिया गया था। आज दिनांक 07.04.2021 को थाना कुर्सी पुलिस द्वारा उक्त आदेश के उल्लंघन पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 110/2021 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत कर जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

शानू पुत्र रफीक निवासी ग्राम अनवारी थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कुर्सी श्री धर्मवीर सिंह जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार आजाद थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी
3. हे0का0 श्यामबाबू, का0 दीपक सिंह थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी
4. का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह, का0 योगेन्द्र सिंह थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी